न्यायालय सहायक कलक्टर फारट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर फारट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
08 / 2020	04 / 08 / 2020	04 / 11 / 2025

राजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा उम्र 65 साल, निवासी बाडोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रार्थी

बनाम

1–बदाम पुत्री रामचन्द्र पत्नी बद्रीलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा–क्वांजापुर तहसील बडौदा जिला श्योपुर मध्य प्रदेश
2–रामसिया पुत्री रामचन्द्र पत्नी मुरारी मृतक कायम मुकाम वारिसान
2 / 1–सुनिता पुत्री रामसिया पत्नी गोरीशंकर जाति मीणा निवासी धानोद ललितपुरा तहसील बडौदा जिला श्योपुर मध्य प्रदेश
2 / 2–विधेका पुत्री रामसिया पत्नी बुद्धिप्रकाश निवासी बेडावद तहसील बडौदा जिला श्योपुर मध्य प्रदेश
2 / 3–रामलेखा पुत्री रामसिया निवासी बासून तहसील बडौदा जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।
अप्रार्थी कम 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री बाबूलाल बैरवा एड0।
अप्रार्थी कम 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री धर्मेन्द्र शर्मा एड0।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ता 2 सगे भाई, बहिन है तथा रामचन्द्र जी की संतान है अप्रार्थी कम 1 का विवाह बद्रीलाल मीणा निवासी क्वांजापुर तहसील बडोदा जिला श्योपुर मध्य प्रदेश व अप्रार्थी कम 2 का विवाह मुरारी मीणा निवासी बासून तह. बडोदा जिला श्योपुर मध्य प्रदेश के साथ हुआ है जो अपने–अपने ससुराल में रहती है। ग्राम बाडोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 2 के सयुक्त खाते मे खाता नम्बर 104 में ख.न. 387 की 0.73 हेक्टर भूमि स्थित है उक्त आराजी मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण की मां लोडकीबाई भी सहखातेदार है लेकिन लोडकीबाई की मृत्यु 8–10 वर्ष पहले हो चुकी है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अलावा कोई अन्य वारिस व उत्तराधिकारी लोडकीबाई के नही है जो प्रार्थना पत्र में पक्षकार है लोडकीबाई की मृत्यु होने के कारण उसे पक्षकार नही बनाया गया है आगे प्रार्थना पत्र मे सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त आराजी को विवादग्रस्त आराजी कहा गया है। विवादग्रस्त आराजी सयुक्त हिन्दू परिवार की पुशतेनी सम्पति है जो प्रार्थी के दादा नारायण से प्रार्थी व अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई है। विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का ही कब्जा काशत है प्रार्थी के पहले उसके पिता रामचन्द्र काशत करते थे, रामचन्द्र जी के पहले प्रार्थी के दादा नारायण काशत करते थें विवादग्रस्त आराजी पुशतेनी आराजी है अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काशत विवादग्रस्त आराजी पर नहीं रहा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मीणा जाति के है जो अनुसुचित जन जाति वर्ग के है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है वह पुराने हिन्दू लॉ से गर्वन होते है मीणा जाति मे पुरूष वारिस जीवित होने पर पुत्री विधवा, पत्नी को विवादग्रस्त आराजी मे

कोई अधिकार हासिल नही होते है विधवा पत्नी भी मात्र अपने पति से प्राप्त सम्पति को अपने जीवन काल तक उसका उपयोग एवं उपभोग कर सकती है उपरोक्त सम्पति को रहन, बैचान, दान, वसीयत, आदि से दिगर व्यक्ति को स्थानान्तरण नही कर सकती उसे पति से प्राप्त सम्पति पर सीमति अधिकार प्राप्त है इस कारण अप्रार्थी कम 1 व 2 का विवादग्रस्त आराजी मे कोई अधिकार व हिस्सा नही है। ओर न ही वह किसी भी प्रकार से विवादग्रस्त मे हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है प्रार्थी को यह कानूनी अधिकार हासिल है कि वह विवादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण 1 व 2 का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर बतौर खातेदार अपना नाम दर्ज करावे इसके लिये न्यायालय श्रीमान की सहायता से खातेदारी की घोषणा करवावे तथा अप्रार्थीगण को विवादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने से तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मदाखलत व मजहामत करने से रोके। दिनांक 17.7.2020 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि विवादग्रसत आराजी मे हमारा भी नाम है उपरोक्त भूमि हमे हमारे पिता से प्राप्त हुई है तथा हम हमारे हिस्से की आराजी पर काशत करेगे प्रार्थी को सम्पूर्ण विवादग्रस्त आराजी पर काशत नही करने देगे प्रार्थी की फसल को नष्ट करेगे तथा अप्रार्थीगण अपने हिस्से की विवादग्रस्त आराजी को दिगर व्यक्ति को विक्रय करेगे प्रार्थी को बर्बाद करके छोडेगे प्रार्थी हमारा कुछ नही कर सकता इस बाबत अप्रार्थीगण ने कई व्यक्तियो से विवादग्रस्त भूमि को विक्रय करने बाबत बातचीत कर रखी है अप्रार्थीगण हरचंद प्रयास मे है कि वह विवादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करे तथा प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करे प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 3 से भी निवेदन किया कि वह अप्रार्थी कम 1 व 2 का नाम खाते से हटावें मीणा जाति में लडकियो को कोई अधिकार नहीं है उन्हें मेरे कब्ज़े काशत में मदाखलत व मजहामत करने से रोके इस पर अप्रार्थी कम नम्बर 3 ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा अदालत में कार्यवाही करो अदालत जैसा आदेश देगी मैं उसकी पालना करूंगा इस कारण प्रार्थी को माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केस पूर्ण रूप से साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है और अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होनी है क्योकि विवादित आराजी प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की है जिस पर प्रार्थी बहैसियत मालिक काबिज है। और काश्त करता चला आ रहा है यदि अप्रार्थीगण नैं प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया और अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अवैध इन्द्राज की आड में प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि कों दिगर व्यक्ति को रहन, बैचान, कर दिया तो प्रार्थी कों अपने अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा और उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्याकन किया जाना सम्भव नही होगा। और प्रार्थी को कई वाद विवाद में उलझना पडेगा तथा प्रार्थी के परिवार की भूखे मरने की नोबत आ जायेगी। क्योकि अप्रार्थीगण लगातार विवादित आराजी को अवैध इन्द्राज की आड मे विक्रय करने पर आमादा है तथा यदि इन्डै अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित नहीं किया गया तों प्रार्थी के समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट खड़ा हो जायेगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीग के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम बाकोली पटवार मण्डल दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की विवादग्रस्त आराजी मे खसरा नम्बर 387 की 0.73 हैक्टर कृषि भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में एवं उपभोग मे आर्थीगण किसी प्रकार मदाखलत व मजमहामत नही करे, तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न तो स्वयं

करे न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावे तथा दिगर व्यक्तियो को रहन, वैचान, दान, आदि प्रतिवादीगण नही करे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीकम 1 की ओर से बाबूलाल बैरवा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रा0 पत्र आदेश 01 नियम 10 व 151 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी कम 2 के कायम मुकाम की ओर से श्री धर्मेन्द्र शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 1 को काफी अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी कम 2/1 ता 2/3 की ओर से जवाब पेश किया। जो अग्रलिखित है। अप्रार्थीगण की मॉ रामसिया के पिता रामचन्द्र जी थे, व रामचन्द्र जी के पिता नारायण थे, रामचन्द्र जी के एक मात्र लडका राजाराम ही था। रामचन्द्र जी की सम्पूर्ण आराजी विवादग्रस्त पर राजाराम जी ही काबिज काश्त है। हमारा कोई लेना–देना नही है उपरोक्त आराजी पुश्तेनी है। मीणा जाति मीणा पुरूष वारिस होने पर पुत्री व विधवा कों कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है विधवा को भी सान्त्र जीवनप्रर्यन्त भरण–पोषण का अधिकार है इस कारण उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पर हमारी मॉ रामसिया का कोई अधिकार व हिस्सा नही है ओर न ही हमारी मौसी बदाम अप्रार्थी कम 1 का कोई हिस्सा व अधिकार बनता है। सम्पूर्ण आराजी के खातेदार राजाराम जी है उन्ही का विवादग्रस्त आराजी पर अधिकार है तथा राजाराम जी ही विवादग्रस्त आराजी को अपने खातेदारी में दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है उपरोक्त आराजी मे हमारी माँ रामसिया का नाम खाते से हटा दिया जावे। अप्रार्थीगण ने कभी भी विवादग्रस्त आराजी को रहन, वैचान, दान करने का प्रयास नही किया गया ओर न ही खुर्द–बुर्द करने का प्रयास किया। प्रार्थी ही विवादग्रस्त आराजी पर फसल काश्त कर रहा है। जिसमें अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व अप्रार्थी सह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी अनुसूचित समुदाय के सदस्य है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। क्योंकि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है तथा कृषि आराजी ख0नं0 387 रकबा 0.73है0 पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। जो कि विचारण का विषय है। अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी को व्ययनित, भारग्रस्त या संक्रामित करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थी को मामलो की जटिलता व बहुलता में उलझाना पड सकता है जो कि अनावश्यक रूप से विलंबकारी भी होगा। अतः प्रार्थी को हुई असुविधा की मात्रा अधिक प्रतीत होती है। सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य है। प्रार्थी का प्रा0 पत्र धारा 212 आरटीएक्ट 1955 स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि अप्रार्थीगण ग्राम बाडौली तह0 पीपल्दा स्थित विवादित आराजी ख.न. 387 की 0.73 हेक्टर की रिकॉर्ड की स्थिति बनाए रखे तथा आराजी की रहन, बैचान, दान इत्यादि के माध्यम से खुर्द–बुर्द अंतरण इत्यादि नहीं करे। उक्त निषेधाज्ञा मूल दावे के अन्तिम निस्तारण तक प्रभावी रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा